

प्रेस विज्ञप्ति
जनपद बस्ती
दिनांक-02.10.2026

थाना हरैया पुलिस टीम द्वारा कम्पनी के लदे हुए सरिया को डिस्ट्रीब्यूट करने के दौरान बीच रास्ते में ही चोरी से उतार कर रास्ते में पड़ने वाले बिल्डिंग मैटेरियल के दुकान संचालकों एवं सरिया चोरों की मिली भगत से बेचने वाले 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर चोरी गए 09 बण्डल सरिया (गैलेंट ब्राण्ड), रुपये 11,000/- नगद व तीन अदद एंड्राइड मोबाइल बरामद किया गया।

थाना हरैया पुलिस टीम द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत ट्रक चालकों द्वारा कम्पनी के लदे हुए सरिया को बीच रास्ते में ही चोरी से उतार कर रास्ते में पड़ने वाले बिल्डिंग मैटेरियल की दुकानों पर दुकान संचालकों एवं सरिया चोरों की मिली भगत से बेचने के संबंध में थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु०अ०सं०-284/2026 धारा-306 BNS से संबंधित 03 अभियुक्तों यथा क्रमशः 1- हरिओम तिवारी पुत्र हरिवंश कुमार तिवारी, 2- रोहित तिवारी पुत्र भगवान दास तिवारी, 3- रामकेवल पुत्र रामलौट को दिनांक-02.10.2026 को समय करीब 00:15 बजे बिहरा-सेमरहिया मोड़ कस्बा महाराजगंज में स्थित आर०के० ट्रेडर्स की दूकान के पास से गिरफ्तार कर अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तारी/ बरामदगी के आधार पर मु०अ०सं०-284/2026 धारा-306 BNS में धारा-317(2), 317(4) BNS की वृद्धि कर अन्य आवश्यक वैधानिक कार्यवाही किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

- 1- हरिओम तिवारी पुत्र हरिवंश कुमार तिवारी उम्र करीब 23 वर्ष निवासी जयराम तिवारी पुरवा थाना करनैलगंज जनपद गोंडा (उ०प्र०)-ट्रक चालक।
- 2- रोहित तिवारी पुत्र भगवान दास तिवारी उम्र करीब 26 वर्ष निवासी मदारपुर थाना करनैलगंज जनपद गोंडा (उ०प्र०)-ट्रक खलाशी/ कंडक्टर।
- 3- रामकेवल पुत्र रामलौट उम्र करीब 52 वर्ष निवासी तेनुआ थाना हरैया जनपद बस्ती (आर०के० ट्रेडर्स संचालक)।

बरामदगी का विवरण-

- 1- 09 बण्डल सरिया (गैलेंट ब्राण्ड)।
- 2- रुपये 11,000/- नगद।
- 3- कुल तीन अदद एंड्राइड मोबाइल (3A-RealMe, 3B-Vivo, 3C-Samsung)।

घटना का संछिप्त विवरण-

दिनांक-01.10.2026 को थाना हरैया पर आवेदक गोरखपुर गैलेंट इस्पात लिमिटेड कंपनी के एच०आर० द्वारा शिकायती प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ कि उनकी कंपनी के कुछ ट्रक चालक कम्पनी के लदे हुए सरिया को बीच रास्ते में ही चोरी से उतार कर रास्ते में पड़ने वाले बिल्डिंग मैटेरियल की दुकानों पर दुकान संचालकों एवं सरिया चोरों की मिली भगत से बेच देने के संबंध में शिकायत मिला, जिस पर एक ट्रक का पीछा कर रहा था तो ज्ञात हुआ कि गोरखपुर-लखनऊ लेन पर ग्राम बिहरा के सामने स्थित आर०के० ट्रेडर्स के संचालक 3-राम केवल वर्मा पुत्र रामलौट व 4-रत्नेश वर्मा पुत्र रामकेवल वर्मा निवासीगण तेनुआ थाना हरैया जनपद बस्ती व 5-शनि निषाद पुत्र दयाराम निषाद निवासी त्रिलोकपुर थाना कप्तानगंज जनपद बस्ती द्वारा ट्रक नं०UP41AT6337 के चालक 1-हरिओम तिवारी पुत्र हरिवंश कुमार तिवारी व ट्रक कंडक्टर/ खलाशी 2-रोहित तिवारी पुत्र भगवान दास को शामिल कर बिहरा स्थित आर०के० ट्रेडर्स पर कुल 09 बण्डल सरिया (गैलेण्ट ब्राण्ड) ट्रक से चोरी कर नीचे उतार आर०के० ट्रेडर्स के सामने जमीन पर रखा हुआ है, जिस पर थाना स्थानीय पर मु०अ०सं०-284/2026 धारा-306 BNS पंजीकृत कर विवेचनात्मक व अन्य आवश्यक कार्यवाही के क्रम में संबंधित 03 अभियुक्तों यथा क्रमशः 1- हरिओम तिवारी पुत्र हरिवंश कुमार तिवारी, 2- रोहित तिवारी पुत्र भगवान दास तिवारी, 3- रामकेवल पुत्र रामलौट को दिनांक-02.10.2026 को समय करीब 00:15 बजे बिहरा-सेमरहिया मोड़ कस्बा महाराजगंज में स्थित आर०के० ट्रेडर्स की दूकान के पास से गिरफ्तार कर गिरफ्तारी/ बरामदगी के आधार पर मु०अ०सं०-284/2026 धारा-306 BNS में धारा-317(2), 317(4) BNS की वृद्धि कर अन्य आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ करने पर अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि हम लोग गैलेंट इस्पात कंपनी गोरखपुर (उ०प्र०) से सरिया लेकर विभिन्न सरिया डिस्ट्रीब्यूटर को ट्रक से देने जाते हैं। हम लोग अपना कुछ खर्च निकालने के लिए ट्रक में लदे सरिया में से कुछ बण्डल सरिया को निकाल कर दुकानों पर दे, देते हैं। हम लोगों ने आर०के० ट्रेडर्स के मालिक 4-रत्नेश वर्मा पुत्र रामकेवल वर्मा व उनके पिता 3- रामकेवल पुत्र रामलौट एवं 5- शनि निषाद पुत्र दयाराम निषाद कहने पर 09 बण्डल सरिया आर०के० ट्रेडर्स दूकान पर उतारा था जिससे रुपये 11,000 नगद मिला था जोकि आप

लोगों द्वारा पकड़ लिया गया है। हम लोगों के काम में 4-रत्नेश वर्मा पुत्र रामकेवल वर्मा व 5-शनि निषाद पुत्र दयाराम निषाद भी सरीक हैं। हम लोग सरिया को चोरी से खरीदते व बेचते हैं।

अभियुक्त1- हरिओम तिवारी का आपराधिक इतिहास-

- 1- मु०अ०सं०-218/2024 धारा-323, 504, 506 IPC थाना कोतवाली नगर जनपद गोंडा (उ०प्र०)।
- 2- मु०अ०सं०-284/2026 धारा-306, 317(2), 317(4) BNS थाना हरैया जनपद बस्ती।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1- प्रभारी निरीक्षक हरैया संजय कुमार जनपद बस्ती।
- 2- प्रभारी एस०ओ०जी० टीम निरीक्षक विकास यादव जंप बस्ती।
- 3- उ०नि० राम प्रकाश यादव, उ०नि० दिनेश कुमार सिंह थाना हरैया जनपद बस्ती।
- 4- प्रभारी चौकी महाराजगंज अनिल कुमार त्रिपाठी थाना कप्तानगंज जनापद बस्ती।
- 5- हे०कां० आजम खां, कां० राजेश मौर्या, कां० मुकेश सिंह, कां० आर्य प्रताप सिंह थाना हरैया जनपद बस्ती।
- 6- हे०कां० रमेश यादव, हे०कां० पवन तिवारी, हे०कां० इरशाद खान, हे०कां० अभय उपाध्याय, हे०कां० मृत्युंजय कुशवाहा, हे०कां० सतेंद्र सिंह, कां० विजय यादव, कां० चन्दन भारती एस०ओ०जी० टीम जनपद बस्ती।

